EICHER

EICHER MOTORS LIMITED

CIN : L34102DL1982PLC129877
Registered Office: 3rd Floor-Select Citywalk, A-3 District Centre, Saket, New Delhi - 110017
Telephone: +91 11 41095173
Corporate Office: #96, Sector 32, Gurugram - 122001, Haryana
Telephone: +91 124 4445070
Email: investors@eichermotors.com
Website: www.eichermotors.com

NOTICE

Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 **("the Act")** read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended **("the Rules")**, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for last seven consecutive years or more are required to be transferred by Eicher Motors Limited **("the Company")** in the name of Investor Education and Protection Fund Authority **("IEPF Authority")** established by the Central Government pursuant to the provisions of section 125 of the Act.

The next due date for transfer of shares, on which seven consecutive years of dividend remaining unpaid or unclaimed, in the name of the IEPF Authority, is September 14, 2024. The shares shall be transferred within a period of thirty days from the due date.

In case of shares which are held in physical form, new share certificates shall be issued for the purpose of transfer to IEPF Authority and the original share certificate shall stand cancelled.

Individual communication in this regard is being sent to the concerned Shareholders. Detail of such shareholders along with their folio number/ DP ID-Client ID is available on the website of the Company at **www.eichermotors.com** under "Investors" section. In case any shareholder(s) wishes to stop transfer of his/her shares in the name of the IEPF Authority, such shareholder(s) is requested to claim his unpaid or unclaimed dividend from the Company before September 14, 2024. Manner in which a shareholder can claim unpaid / unclaimed dividend is provided under the individual communication being sent to the shareholders which is also available on the Company's website.

In case no communication is received from the concerned shareholder(s) within the time period and in the manner provided under the individual communication, the Company shall cause to transfer the relevant shares in the name of the IEPF Authority pursuant to the provisions of the Act and the Rules.

Any person whose shares / unpaid dividend is transferred to the IEPF Authority may claim the shares/ dividend from IEPF Authority, pursuant to the provisions of section 124 and 125 of the Act and the Rules made thereunder by submitting an online application in Form IEPF-5 with IEPF Authority, available on the website **www.iepf.gov.in** with a copy to the Company. Shareholders are requested to go through the individual communication issued by the Company in this regard and also the provisions of section 124 and 125 of the Act and the Rules.

The above information is also available on the Company's website **www.eichermotors.com** and also on the website of stock exchanges i.e. NSE- **www.nseindia.com** and BSE- **www.bseindia.com**.

For **Eicher Motors Limited**
Sd/-
Atul Sharma
Company Secretary &
Compliance Officer

Date : 12 June, 2024
Place : Gurugram, Haryana

EICHER

EICHER MOTORS LIMITED

CIN : L34102DL1982PLC129877

पंजीकृत कार्यालय : थर्ड फ्लोर–सिलेक्ट सिटीवॉक, ए–3 डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017

फोन : +91 11 41095173

कार्पोरेट कार्यालय : #96, सेक्टर–32, गुरुग्राम–122001, हरियाणा

फोन : +91 124 4445070

ई-मेल : investors@eichermotors.com

वेबसाइट : www.eichermotors.com

सूचना

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा–परीक्षण, हस्तांतरण एवं प्रतिभुगतान) नियमावली, 2016, संशोधितानुसार (**''नियमावली''**) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (**''अधिनियम''**) की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसरण में, वे सभी शेयर जिनके संदर्भ में विगत सात निरंतर वर्षों अथवा अधिक अवधि हेतु लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा उसका दावा नहीं किया गया है, उन्हें आयशर मोटर्स लिमिटेड (**''कम्पनी''**) द्वारा अधिनियम की धारा 125 के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (**''आईईपीएफ प्राधिकरण''**) के नाम में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है।

आईईपीएफ प्राधिकरण के नाम में ऐसे शेयर्स के हस्तांतरण की अगली नियत तिथि, जिन पर भुगतान नहीं किए गए अथवा भुगतान के लिए बिना दावे के शेष लाभांश के सात निरंतर वर्ष पूरे हो रहे हैं, 14 सितम्बर, 2024 है। शेयर्स का हस्तांतरण नियत तिथि से तीस दिनों की एक अवधि के अंदर होगा।

ऐसे शेयर्स के मामले में, जो कि भौतिक रूप में धारित हैं, आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के उद्देश्य हेतु नवीन शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे तथा मूल शेयर प्रमाणपत्र निरस्त हो जाएंगे।

इस संबंध में संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना प्रेषित की जा रही है। ऐसे शेयरधारकों के विवरण उनकी फोलियो नंबर/डीपी आईडी–क्लाइंट आईडी के साथ कम्पनी की वेबसाइट **www.eichermotors.com** पर ''इन्वेस्टर्स'' सेक्शन के अन्तर्गत उपलब्ध हैं। यदि कोई शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण के नाम में अपने शेयर्स का हस्तांतरण रोकना चाहता है, तो ऐसे शेयरधारक से अनुरोध है कि वह कम्पनी से अपने भुगतान नहीं हुए अथवा भुगतान हेतु बिना दावे के बचे लाभांश हेतु अपना दावा 14 सितम्बर, 2024 को अथवा इससे पूर्व करे। वह विधि जिसके अंतर्गत कोई शेयरधारक भुगतान नहीं हुए/भुगतान हेतु बिना दावे के बचे लाभांश के लिए दावा कर सकता है, वह उस व्यक्तिगत रूप से प्रेषित सूचना के अन्तर्गत उपलब्ध है, जो शेयरधारकों को प्रेषित की जा रही है, जोकि कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

यदि उक्त समयावधि के अंदर तथा व्यक्तिगत पत्र–व्यवहार के अन्तर्गत उपलब्ध विधि के तहत संबंधित शेयरधारकों से कोई पत्र–व्यवहार प्राप्त नहीं होता है, तो कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमावली के अनुपालन के अंतर्गत संबंधित शेयर्स का हस्तांतरण आईईपीएफ प्राधिकरण के नाम में कर देगी।

कोई भी व्यक्ति जिसके शेयर/भुगतान नहीं हुए लाभांश आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए गए हैं, वह वेबसाइट **www.iepf.gov.in** पर उपलब्ध प्रपत्र आईईपीएफ–5 में ऑनलाइन आवेदन आईईपीएफ प्राधिकरण के पास जमा करके, कम्पनी को इसकी प्रति प्रेषित करते हुए, अधिनियम की धारा 124 एवं 125 के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत विरचित नियमावली के अनुपालन में आईईपीएफ प्राधिकरण से शेयर्स/लाभांश का दावा कर सकता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में कम्पनी द्वारा जारी किए गए व्यक्तिगत पत्र–व्यवहार तथा अधिनियम की धारा 124 एवं 125 के प्रावधानों तथा नियमावली का पूर्ण संदर्भ ग्रहण करें।

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.eichermotors.com** पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः एनएसई–**www.nseindia.com** और बीएसई–**www.bseindia.com** पर भी उपलबध है।

वास्ते **आयशर मोटर्स लिमिटेड**

हस्ता./–

अतुल शर्मा

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तिथि : 12 जून, 2024

स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा